



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

क्रमांक : राजभमवि/अल/परीक्षा/2016/6160

दिनांक : 21.12.2016

परीक्षा 2017 के परीक्षा फार्म भरवाने सम्बन्धी विज्ञापित

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अलवर जिले के समस्त स्नातक पार्ट-1, पार्ट-11, स्नातकोत्तर (पूर्वाह्न एवं उत्तराह्न) एवं एक वर्षीय डिप्लोमा (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान) के परीक्षार्थियों (राजर्षि महाविद्यालय, अलवर के नियमित विद्यार्थियों के अलावा) की परीक्षा-2017 के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र वेबसाइट www.univindia.org एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट www.rrbmuniv.ac.in पर भरने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है :

- (i) बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (पास कोर्स) के पार्ट-1 एवं पार्ट-11 के नियमित एवं पूर्वछात्र तथा बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. (स्वयंपाठी) पार्ट-1 एवं पार्ट-11 परीक्षार्थियों के लिए आवेदन पत्र भरने की तिथियां निम्नानुसार है :-

बिना विलम्ब शुल्क - 23.12.2016 से 01.01.2017 तक

विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित - 02.01.2017 से 06.01.2017 तक

- (ii) बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (आनर्स), बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. पार्ट-1/11 (वार्षिक पद्धति) के परीक्षार्थियों की परीक्षा-2017 हेतु आवेदन पत्र भरने की तिथियां निम्नानुसार है :-

बिना विलम्ब शुल्क - 23.12.2016 से 01.01.2017 तक

विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित - 02.01.2017 से 06.01.2017 तक

- (iii) समस्त स्नातकोत्तर (पूर्वाह्न एवं उत्तराह्न) वार्षिक पद्धति के नियमित एवं पूर्वाह्न के पूर्व परीक्षार्थी तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थी एवं डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एण्ड इन्फोर्मेशन साइंस के परीक्षार्थियों के लिए आवेदन पत्र भरने की तिथियां निम्नानुसार है :

बिना विलम्ब शुल्क - 23.12.2016 से 01.01.2017 तक

विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित - 02.01.2017 से 06.01.2017 तक

नोट :

1. उक्त अनुसार तिथियों में तिथि से अभिप्रायः रात्रि 12:00 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 12:00 बजे समाप्त होने वाले समय से है।
2. महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फार्म अग्रेषित करने सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु परिशिष्ट 'अ' देखें।
3. परीक्षा फार्म भरने सम्बन्धी जानकारी के लिए मोबाईल नं. 0144-2730321 पर सम्पर्क करें।

परीक्षा आवेदन-पत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण एवं नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु सूचना वेबसाइट www.rrbmuniv.ac.in एवं www.univindia.org पर उपलब्ध है।

परीक्षा फार्म सावधानी पूर्वक भरें। परीक्षा से सम्बन्धित कतिपय नियम दिशा-निर्देश के परिशिष्ट-'ब' में देखें। विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हेण्डबुक के सम्बन्धित नियम/परिनियम/आर्डिनेन्स राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है, जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप में लागू है।

Ed

परीक्षा नियंत्रक

दिनांक : 21.12.2016

क्रमांक : राजभमवि/अल/परीक्षा/2016/6161-6172

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. (i) समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म सही है एवं दो प्रतियों में परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न है। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण दिशा-निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाइट www.rrbmuniv.ac.in एवं www.univindia.org पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय कोड आवश्यक रूप से अंकित करें।

- (ii) संबंधित महाविद्यालय में जमा होने वाले ऐसे आवेदन पत्र जिनमें राजस्थान शिक्षा बोर्ड/राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर से पृथक मार्कशीट/ प्रव्रजन प्रमाण पत्र संलग्न हो, को पृथक से सूचीबद्ध किया जावेगा।
- (iii) सम्बन्धित महाविद्यालयों से परीक्षा-2017 के आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र प्राप्त किये जावेंगे। अतः तब तक महाविद्यालय इन आवेदन पत्रों को मय दस्तावेजों के अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
- (iv) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों पर आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ-पत्र संबंधित प्राचार्यों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क सहित भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात् दो कार्य दिवसों में अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्रों की सूची के साथ प्रेषित करेंगे।
- (v) **माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित महाविद्यालय प्राचार्य सुनिश्चित कर लें अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय जिम्मेदार रहेंगे।**
- (vi) पूर्व की भांति केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा फार्म अग्रेषण का शुल्क रु. 8/- प्रति छात्र सम्बन्धित महाविद्यालयों को देय होगा।
- (vii) सम्बन्धित महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भरी जा चुकी है। यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे - परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किये गये अनिवार्य विषयों के नाम, प्राप्तांको का विवरण, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित महाविद्यालय पर जमा करें। **ई-मित्र के द्वारा देय रसीद की फोटोप्रति के पीछे जमाकर्ता के हस्ताक्षर एवं महाविद्यालय की मोहर अंकित कर परीक्षार्थी को रसीद के रूप में प्रदान करें, छात्र इस रसीद को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखे। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन पत्र की कम्प्यूटर प्रति ऊपर रखें तथा उसके नीचे कार्यालय प्रति मय पूर्व में उत्तीर्ण आवश्यक अंकतालिकाएं आदि संलग्न हों।** उपरोक्त कारणों से परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय ही जिम्मेदार होगा।
2. प्राचार्य, राजर्षि महाविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उनके ऐसे नियमित परीक्षार्थी जिनका नामांकन इस विश्वविद्यालय स्तर पर सत्र 2016-17 में किया जाना है, की सूचना पाठ्यक्रमानुसार एक्सेल शीट में छात्र के पूर्ण विवरण के साथ दिनांक 10.01.2017 तक सॉफ्टकॉपी एवं हार्डकॉपी में उपलब्ध करावें।
 3. वित्त नियंत्रक, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि परीक्षा-2017 हेतु ई-मित्र कियोस्क द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क की राशि विश्वविद्यालय के सम्बन्धित बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करने का भी श्रम करें।
 4. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
 5. प्रबन्ध निदेशक, MD, RISL राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि MOU की शर्तानुसार परीक्षा शुल्क राशि राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के खाते में T+2 दिवस में जमा होना सुनिश्चित करने का श्रम करें अन्यथा MOU की शर्तानुसार ब्याज राशि 12 प्रतिशत की दर से देनी होगी। सम्बन्धित ई-मित्र कियोस्क को यह भी सुनिश्चित करावे कि एक बार परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं हो और ई-मित्र पर जमा शुल्क का टोकन निरस्त नहीं होना चाहिए।
 6. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
 7. निजी सचिव, माननीय कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
 8. समस्त अनुभाग अधिकारी, परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग/अकादमिक-11/सेलर, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड शाखा, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
 9. जनसम्पर्क अधिकारी, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार अलवर जिले में प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर) में एक बार प्रकाशित करवाने एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
 10. डॉ. योगेन्द्र कुमार धामा, प्रभारी सूचना एवं प्रौद्योगिकी।
 11. श्री हेमंत कुमार, सूचना सहायक।
 12. मैसर्स माइक्रोनिक् इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अजमेर।


परीक्षा नियंत्रक



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

क्रमांक : राऋभमवि/अल/परीक्षा/2016/6160

दिनांक : 21.12.2016

परीक्षा 2017 के लिए ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरवाने सम्बन्धी महाविद्यालय एवं परीक्षार्थियों को दिशा-निर्देश

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अलवर जिले के समस्त स्नातक पार्ट- I, पार्ट- II, स्नातकोत्तर (पूर्वाह्न एवं उत्तराह्न) एवं एक वर्षीय डिप्लोमा (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान) के परीक्षार्थियों (राजर्षि महाविद्यालय, अलवर के नियमित विद्यार्थियों के अलावा) की परीक्षा-2017 के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र वेबसाईट www.univindia.org एवं विश्वविद्यालय वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in पर भरने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है :

- (i) बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (पास कोर्स) के पार्ट- I एवं पार्ट- II के नियमित एवं पूर्वछात्र तथा बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. (स्वयंपाठी) पार्ट- I एवं पार्ट- II परीक्षार्थियों के लिए आवेदन पत्र भरने की तिथियां निम्नानुसार है :-

बिना विलम्ब शुल्क - 23.12.2016 से 01.01.2017 तक

विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित - 02.01.2017 से 06.01.2017 तक

- (ii) बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (आनर्स), बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. पार्ट- I/II (वार्षिक पद्धति) के परीक्षार्थियों की परीक्षा-2017 हेतु आवेदन पत्र भरने की तिथियां निम्नानुसार है :-

बिना विलम्ब शुल्क - 23.12.2016 से 01.01.2017 तक

विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित - 02.01.2017 से 06.01.2017 तक

- (iii) समस्त स्नातकोत्तर (पूर्वाह्न एवं उत्तराह्न) वार्षिक पद्धति के नियमित एवं पूर्वाह्न के पूर्व परीक्षार्थी तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थी एवं डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एण्ड इन्फोर्मेशन साइंस के परीक्षार्थियों के लिए आवेदन पत्र भरने की तिथियां निम्नानुसार है :

बिना विलम्ब शुल्क - 23.12.2016 से 01.01.2017 तक

विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित - 02.01.2017 से 06.01.2017 तक

नोट :

1. उक्त अनुसार तिथियों में तिथि से अभिप्रायः रात्रि 12:00 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 12:00 बजे समाप्त होने वाले समय से है।
2. महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फार्म अग्रेषित करने सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु परिशिष्ट 'अ' देखें।
3. परीक्षा फार्म भरने सम्बन्धी जानकारी के लिए 0144-2730321 पर सम्पर्क करें।

परीक्षा आवेदन-पत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण एवं नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु सूचना वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in एवं www.univindia.org पर उपलब्ध है।

परीक्षा फार्म सावधानी पूर्वक भरें। परीक्षा से सम्बन्धित कतिपय नियम दिशा-निर्देश के परिशिष्ट- 'ब' में देखें। विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हेण्डबुक के सम्बन्धित नियम/परिनियम/आर्डिनेन्स राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की वेबसाईट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है, जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप में लागू है।

विशेष कथन :

- I. इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन आने वाले परीक्षार्थी जो राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से परीक्षा-2016/पूर्व वर्षों में स्नातक पार्ट-। में अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं, ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा-2017 राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा आयोजित होगी। ऐसे परीक्षार्थियों को पूर्व में उत्तीर्ण “अनिवार्य विषयों” की छूट नियमानुसार देय होगी।
- II. इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन आने वाले राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पूर्वछात्र जो राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से परीक्षा-2016/पूर्व वर्षों में स्नातक पार्ट-।। में अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं, ऐसे पूर्व परीक्षार्थी/स्वयंपाठी श्रेणी के परीक्षार्थियों की परीक्षा-2017 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा ही आयोजित होगी।
- III. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के आर्डिनेन्स 153 (बी) के तहत 3 साल के अन्तराल में स्नातक पार्ट-।। उत्तीर्ण छात्र यदि अगले तीन वर्ष में स्नातक पार्ट-।।। की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं तो वे पुनः स्नातक पार्ट द्वितीय की परीक्षा के योग्य होते हैं। इस श्रेणी के छात्रों की स्नातक पार्ट-।। की परीक्षा-2017 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा ही आयोजित होगी। किन्तु इस आर्डिनेन्स के तहत स्नातक पार्ट-। के योग्य छात्रों की परीक्षा राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा आयोजित होगी।
- IV. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की परीक्षा में अलवर जिले के ऐसे परीक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण रहे हैं, की परीक्षा-2017 राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा आयोजित होगी।
- V. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के आर्डिनेन्स 169 (ई)(I), 169 (ई)(II), 169 (डी) एवं 179 के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) पूर्वछात्र परीक्षा-2016 या इससे पूर्व के छात्रों की परीक्षाएं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा ही आयोजित की जावेगी।
- VI. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के समकक्ष अन्य किसी विश्वविद्यालय से पार्ट-। उत्तीर्ण छात्र यदि राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में पार्ट-।। की परीक्षा में प्रविष्ट होता है तो उसकी श्रेणी (Division) का निर्धारण उसके द्वारा पार्ट-।। एवं पार्ट-।।। में प्राप्तांकों के आधार पर होगा तथा उनकी डिग्री पर इस तथ्य का अंकन भी होगा कि छात्र ने राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के क्षेत्राधीन दो वर्ष अध्ययन किया है।
- VII. घोषित परीक्षा पाठ्यक्रमों से पृथक किसी ऐसे पाठ्यक्रम जो विज्ञप्ति/दिशा-निर्देश में शामिल नहीं है, किन्तु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के किसी सुसंगत अध्यादेश के अधीन उसकी परीक्षा इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन कराई जानी अपेक्षित हो तो तत्समय विचार कर परीक्षा फार्म भराये जाने की कार्रवाई की जाएगी।

अन्य आवश्यक सूचनाएं एवं दिशा-निर्देश

1. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र एवं चालान डाउनलोड कर जमा करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश :

- (i) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा-2017 के लिए समस्त श्रेणी के परीक्षार्थी नये सिरे से फ्रेश (Fresh) परीक्षा आवेदन पत्र भरेंगे अर्थात् वे परीक्षार्थी जो परीक्षा-2016 में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में उत्तीर्ण घोषित हैं या आगामी कक्षा के लिए योग्य माने गये हैं, को भी नये सिरे से आवेदन करना होगा। तत्पश्चात् परीक्षा शुल्क के चालान का प्रिंट लेकर चालान की तिथि से अगले दो कार्य दिवस में ई-मित्र कियोस्क में परीक्षा शुल्क जमा करावें। परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात् ई-मित्र से प्राप्त टोकन नं. से पुनः वेबसाइट www.univindia.org से दो प्रतियों में परीक्षा फार्म की हार्डकॉपी का प्रिन्ट लेकर परीक्षा फार्म पर अंकित निर्धारित परीक्षा शुल्क मय आवश्यक दस्तावेजों, पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका आदि के साथ अगले दो कार्य दिवसों में सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा करवायें।

2. परीक्षा फार्म जमा करने सम्बन्धी निर्देश :

- A. नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फार्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित महाविद्यालय जिसके वे नियमित विद्यार्थी हैं, वहाँ पर जमा करवायें।
- B. पूर्वछात्र परीक्षा फार्म की हार्डकॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवायें, जिस महाविद्यालय से नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे। परन्तु ऐसे महाविद्यालय जो बन्द हो चुके हैं उनके पूर्वछात्र निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षा फार्म जमा करवायेंगे। सम्बन्धित महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार करेंगे तथा विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात् दो कार्य दिवसों तक विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।
- C. स्वयंपाठी परीक्षार्थी अपने परीक्षा फार्म, परीक्षा फार्म पर अंकित सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा करावें।
3. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित महाविद्यालय प्राचार्य सुनिश्चित कर लें अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय जिम्मेदार होगा।

4. परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

- (क) निर्धारित शुल्क के चालान का प्रिन्ट लेकर ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से शुल्क जमा करवायें। पुनः वेबसाइट www.univindia.org पर लॉग-इन कर चालान पर अंकित परीक्षा फार्म नम्बर व जन्मतिथि अंकित करके अपने परीक्षा फार्म का दो प्रतियों में प्रिन्ट लें।
- (ख) परीक्षार्थी ई-मित्र कियोस्क पर परीक्षा शुल्क नकद जमा करवा सकते हैं अथवा क्रेडिट, डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से भी परीक्षा शुल्क चालान पर चयनित उनकी वेबसाइट पर जमा करवा सकते हैं।
- (ग) एक बार परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा और जमा शुल्क का टोकन/ट्रांजेक्शन आई.डी. निरस्त नहीं होगा। सम्बन्धित ई-मित्र कियोस्क भी यह सुनिश्चित कर लें।
- (घ) आवेदन कर्ता चाहे तो अपना परीक्षा फार्म ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन भरवा सकते हैं।
5. परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त परीक्षार्थियों द्वारा ई-मित्र कियोस्क को देय राशि का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	कार्य का विवरण	निर्धारित शुल्क
1	परीक्षा शुल्क	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार।
2	आवेदन पत्र भरवाने का शुल्क जिसमें परीक्षार्थी के हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ स्केन करना भी शामिल होगा।	यदि परीक्षा शुल्क 2000/- तक है तो 25/- रुपये प्रति आवेदन पत्र।
		यदि परीक्षा शुल्क 2000/- से ज्यादा है तो 30/- रुपये प्रति आवेदन पत्र।
3	वेब कैम से फोटो खींचने, यदि आवश्यक हो, का शुल्क।	5/- रुपये
4	परीक्षा शुल्क डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराना।	5/- रुपये प्रति संव्यवहार।
5	अतिरिक्त दस्तावेजों की फोटो-कॉपी, स्केनिंग आदि, यदि आवश्यक हो, का शुल्क	प्रचलित बाजार दर पर।

6. परीक्षार्थियों द्वारा ई-मित्र कियोस्क के अलावा अन्य किसी माध्यम (जैसे नकद/बैंक ड्राफ्ट/चैक/पोस्टल ऑर्डर आदि) के द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय को मान्य नहीं होगा।
7. ई-मित्र हेल्प लाईन नं. टोल फ्री नम्बर- 1800 180 6127

ई-मित्र आईडी - ccc.emitra@gmail.com

Technical Support :-

0141- 2221424 helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in

0141- 2221425 helpdeskl.emitra@rajasthan.gov.in

8. परीक्षार्थी ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फार्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे।
9. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा-2017 के लिए समस्त श्रेणी के परीक्षार्थी नये सिरे से फ्रेश (Fresh) आवेदन पत्र भरेंगे अर्थात् वे परीक्षार्थी जो परीक्षा-2016 में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में उत्तीर्ण घोषित होकर या आगामी कक्षा के लिए योग्य माने गये हैं, को भी नये सिरे से आवेदन करना होगा। उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थान पर Attach करें।

नोट : परीक्षा-2016 में स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में उत्तीर्ण छात्र आगामी कक्षा का फ्रेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय उन्हीं विषयों का चयन करेंगे, जिनका उन्होंने स्नातक पार्ट-1 व स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में किया था। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा तथा उनका आवेदन शुल्क वापिस नहीं किया जावेगा। महाविद्यालय भी सही विषय भरा जाना सुनिश्चित करें।

10. समस्त परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन करने के पश्चात् बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा।
11. परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा
- A. स्वयंपाठी परीक्षार्थी के फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती जैसे - नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, एनरोलमेन्ट नं. इत्यादि में बाद में संशोधन करवाने पर ₹ 150/- प्रति गलती परीक्षार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर सुधार संभव होगा।
- B. सम्बन्धित महाविद्यालय नियमित परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्मों की सावधानी पूर्वक जाँच करलें अन्यथा किसी भी प्रकार की गलती होने पर ₹ 150/- प्रति गलती सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को अदा करने होंगे।
12. (i) ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी अंकतालिका की सत्यापित प्रति परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें।
- (ii) राजस्थान बोर्ड/राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के अतिरिक्त किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपना मूल प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेशन) एवं मूल अंकतालिका संलग्न करें।

13. (i) जो छात्र पूर्व में ही इस विश्वविद्यालय में नामांकित है और स्नातक पार्ट- II एवं स्नातकोत्तर उतरार्द्ध के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें भी अपनी गत उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- (ii) ऐसे छात्र जो पूर्व में किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकित है और जो प्रथम बार राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं, ऐसे समस्त परीक्षार्थियों को इस विश्वविद्यालय में नामांकन कराना अनिवार्य है।
- (iii) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के आर्डिनेन्स 169(ई) के तहत स्नातक पार्ट- I में श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी को अपनी गत उत्तीर्ण कक्षा की मूल अंकतालिका एवं मूल प्रव्रजन प्रमाण-पत्र परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- (iv) जो परीक्षार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से परीक्षा-2016/पूर्व वर्षों में स्नातक पार्ट- I में अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं एवं जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, को भी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की मूल अंकतालिका एवं मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
14. परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने संबंधी सूचना उनके परीक्षा प्रवेश-पत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।
15. फ्रेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले छात्र अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड/विश्वविद्यालय की अंकतालिका के अनुसार ही भरें।
16. विश्वविद्यालय में पूर्व से नामांकित छात्र अर्थात् स्नातक पार्ट-प्रथम के पूर्वछात्र तथा पार्ट-द्वितीय एवं स्नातकोत्तर उतरार्द्ध के लिए आवेदन (UG Part-I Ex Student and Part II and PG Final) :-
जो छात्र गत वर्ष इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वे भी Fresh फॉर्म भरें एवं उन्हें पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की फोटोप्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
17. जिन छात्रों ने परीक्षा-2016 में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है तथा उनका पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र जिस कक्षा के लिए पात्रता रखते हैं, उस कक्षा के लिए निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि उनका परिणाम परिवर्तित होता है तो परीक्षा फार्म का अगली उच्च कक्षा के लिए परिवर्तन, बकाया शुल्क तथा मूल अंकतालिका की प्रति विश्वविद्यालय में जमा कर, कराया जा सकेगा। निर्धारित समय अवधि के पश्चात् परीक्षा आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
18. ऐसे परीक्षार्थी जो ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फार्म संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं, उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। शुल्क जमा कराने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

19. परीक्षा 2017 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क एवं विकास शुल्क निम्नानुसार है :-

I – स्नातक स्तर (UG) की परीक्षा-2017 के लिए परीक्षा शुल्क

S. No.	Name of Exam	Category of Students		
		Regular	Ex-Students	Non-Collegiate
1.	Student Not Enrolled B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.) /B.Com. (Hons.)- Part-I	Non Raj. Board Students		
		₹ 1430/- (Including Enrl. ₹ 220/- + Elg. ₹ 220/-)	-	₹ 2200/- (Including Enrl. ₹ 220/- + Elg. ₹ 220/-)
		Raj. Board Students		
		₹ 1210/- (Including Enrl. ₹ 220/-)	-	₹ 1980/- (Including Enrl. ₹ 220/-)
2.	Student all ready Enrolled B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com.(Hons.)- Part-I	₹ 990/-	₹ 1210/-	₹ 1760/-
3.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-II	₹ 990/-	₹ 1210/-	₹ 1870/-
4.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-II with due paper of Part-I	₹ 1320/-	₹ 1650/-	₹ 2640/-
5.	Physically Challenged Students of Above All Categories	₹ 280/-	₹ 330/-	₹ 660/-

II – स्नातकोत्तर स्तर (PG) की परीक्षा-2017 के लिए परीक्षा शुल्क

S. No.	Name of Exam	Category of Students		
		Regular	Ex-Students	Non-Collegiate
1.	Student Not Enrolled M.A./M.Sc./M.Com. (Previous)	₹ 1710/- (Including Enrl. ₹ 220/- + Elg. ₹ 220/-)	-	₹ 2530/- (Including Enrl. ₹ 220/- + Elg. ₹ 220/-)
2.	Student all ready Enrolled M.A./M.Sc./M.Com. (Previous)	₹ 1270/-	₹ 1430/-	₹ 2090/-
3.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final) / Ord. 169-E(i)	₹ 1600/-	₹ 1760/-	₹ 2700/-
4.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final) with due papers of Previous/ Ord. 169-E(II) of Univ. of Raj.)	₹ 2040/-	₹ 2200/-	₹ 3740/-
5.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final) Due papers of Previous only	-	₹ 1210/-	₹ 2530/-
6.	M.A./M.Sc./M.Com. (under Ord. 179 of Univ. of Raj.)	-	-	₹ 3850/-
7.	Physically Challenged Students of Above All Categories	₹ 440/-	₹ 500/-	₹ 720/-

III – व्यवसायिक स्तर (Professional) की परीक्षा-2017 के लिए परीक्षा शुल्क

S. No.	Name of Exam	Category of Students		
		Regular	Ex-Students	Non-Collegiate
1.	Diploma in Library & Information Science	₹ 1100/-	₹ 1160/-	-
2.	Physically Challenged Students of Above Category	₹ 440/-	₹ 500/-	-

उक्तानुसार परीक्षा शुल्क सारणी में अंकित :

- Enrl. से अभिप्रेत Enrollment Fee है जो ऐसे प्रत्येक परीक्षार्थी को देय होगी जिसका इस विश्वविद्यालय में प्रथम बार नामांकन होगा।
- Elg. से अभिप्रेत Eligibility Fee है जो ऐसे प्रत्येक परीक्षार्थी को देय होगी जिसने अर्हयक परीक्षा (Qualifying Exam) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर/राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर से भिन्न किसी अन्य शिक्षा बोर्ड से/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।

IV – स्नातक एवं स्नातकोत्तर (UG & PG) की प्रायोगिक (Practical) परीक्षा-2017 के लिए पृथक परीक्षा शुल्क

S. No.	Name of Exam	Category of Students		
		Regular	Ex-Students	Non-Collegiate
1.	प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा के लिए	₹ 100/-	₹ 100/-	₹ 100/-

- यह प्रायोगिक परीक्षा शुल्क स्नातक पार्ट-1 की प्रारंभिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग (Elementary Computer Application) के लिए लागू नहीं होगा।
- यह प्रायोगिक परीक्षा शुल्क उक्त सारणी (I, II एवं III) से पृथक है।

नोट :-

- I. प्रत्येक नियमित छात्र द्वारा विकास शुल्क रू. 50/- तथा स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क रू. 50/- संबंधित महाविद्यालय को उपरोक्तानुसार दर्शाए परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पृथक से देय होगा।
- II. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जो कि चिकित्सा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्यथा सामान्य निर्धारित शुल्क देय होगा।
- III. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त बिन्दु संख्या-I में वर्णित के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जावे।


परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ट- 'अ'

महाविद्यालय द्वारा वेबसाईट पर पंजीयन तथा परीक्षा फार्म जमा कर अग्रेषित करने की प्रक्रिया :

स्वयंपाठी एवं पूर्वछात्र ई-मित्र कियोस्क पर परीक्षा शुल्क जमा करवाकर दो प्रतियों में परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज के सम्बन्धित महाविद्यालय (जो परीक्षा फार्म पर मुद्रित है) में जमा करावेंगे। सम्बन्धित महाविद्यालय परीक्षा फार्मों को निम्नानुसार कक्षावार व्यवस्थित कर

1. जमा होने वाले ऐसे आवेदन पत्र जिनमें राजस्थान शिक्षा बोर्ड/राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर से पृथक मार्कशीट/ प्रव्रजन प्रमाण पत्र संलग्न हो, को पृथक से सूचीबद्ध किया जावेगा एवं
2. उक्त से भिन्न आवेदन पत्रों को पृथक से सूचीबद्ध किया जावेगा।

1. नियमित एवं पूर्व छात्र :

- (क) सर्वप्रथम सभी महाविद्यालय उनको आवंटित कोड से सम्बन्धित www.univindia.org पर अपना ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल नं. का रजिस्ट्रेशन करावेंगे। तत्पश्चात् उन्हें महाविद्यालय लॉग-ईन आई.डी. एवं वन टाइम पासवर्ड (One Time Password) उनके पंजीकृत मोबाईल पर उपलब्ध कराया जायेगा। महाविद्यालय अपना नया पासवर्ड बदलने के ऑप्शन पर अपना नया पासवर्ड उसी वेबसाईट पर अपने स्तर पर बदल सकेंगे। विश्वविद्यालय की राय में उचित यह होगा कि महाविद्यालय कार्य करने से पूर्व पासवर्ड अवश्य बदल लें।
- (ख) ई-मित्र पर जमा शुल्क के साथ प्राप्त परीक्षा फार्मों को कक्षावार उसी वेबसाईट पर प्रत्येक छात्र के फार्म को Verify बटन पर Click कर Verify करें। सम्बन्धित कक्षा के सभी परीक्षा फार्म Verify किये जाने के पश्चात् प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर Nominal Roll List का प्रिन्ट ले तत्पश्चात् उक्त लिस्ट के क्रम में व्यवस्थित कर सुरक्षित रखेंगे।
- (ग) महाविद्यालय ध्यान रखें उक्त प्रक्रिया के अभाव में किसी भी परीक्षा फार्म में रही किसी भी कमी अथवा त्रुटि के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय देय शास्ति, यदि कोई हो, के साथ-साथ विधिक रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

2. स्वयंपाठी :

स्वयंपाठी परीक्षार्थी से ई-मित्र पर जमा शुल्क के साथ दो प्रतियों में प्राप्त परीक्षा फार्मों की कक्षावार अपने स्तर पर उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार सूची तैयार कर परीक्षा फार्मों के दो अलग सेट (कम्प्यूटर प्रति एवं ऑफिस प्रति) के साथ संलग्न कर विश्वविद्यालय को भिजवायें। विद्यार्थी द्वारा जमा कराई गई शुल्क की रसीद को ऑफिस प्रति के साथ संलग्न किया जावे।

3. विशेष :

ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक पार्ट-1 परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं जो नियमानुसार स्नातक पार्ट-11 के लिए पात्र है, के परीक्षा आवेदन पत्र को सम्बन्धित छात्र द्वारा संलग्न स्नातक पार्ट-1 परीक्षा की अंकतालिका के आधार पर उसके विषयों से मिलान करने के पश्चात् ही वेरिफाई किया जावें। स्नातक पार्ट-1 परीक्षा के विषयों एवं आवेदन पत्र में अंकित विषयों में किसी भी भिन्नता की स्थिति में ऐसे आवेदन पत्र को वेरिफाई नहीं किया जावे। अन्यथा स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा के अयोग्य घोषित किये जाने पर किसी भी विधिक जिम्मेदारी के लिए महाविद्यालय जिम्मेदार होगा।

परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ट- 'ब'

अ - स्नातक परीक्षा हेतु कतिपय नियम :

(विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हेण्डबुक के सम्बन्धित नियम/परिनियम/आर्डिनेन्स देखे जा सकते हैं, जो राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की वेबसाईट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है। जो समान रूप से इस विश्वविद्यालय पर प्रभावी है।)

1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के आर्डिनेन्स-176 (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार परीक्षा फार्म भरने की तिथि से ठीक 2½ वर्ष पूर्व से अलवर जिले के निवासी ही स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इस आशय का प्रमाण-पत्र परीक्षा फार्म के साथ देना होगा। उक्त प्रावधान से निम्नलिखित को छूट मिलेगी।
 - a) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के आश्रित जिनका स्थानान्तरण अलवर जिले में हुआ हो।
 - b) ऐसे व्यक्ति जो स्थायी रूप से अलवर जिले में निवास करने लगे हों।
 - c) अलवर जिले के मूल निवासी (Bonafide Permanent Resident)।
 - d) ऐसे रक्षा बल (Defence Personnel) जो अलवर जिले में परीक्षा फार्म भरने की दिनांक को पदस्थापित हो।
2. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स - 170-ए (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार स्वयंपाठी छात्रों के लिए वही पाठ्यक्रम लागू होगा जो नियमित परीक्षार्थियों के लिये लागू है। परन्तु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा स्कीम में समय-समय पर किया गया संशोधन भी लागू होगा।
3. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स-175 (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है - टैक्सटाईल क्राफ्ट, इन्वेस्टिगेटिव बायोटेक्नोलॉजी, शीप एवं वूल, लाइव स्टॉक एण्ड डेयरिंग, टेक्सटाईल डाईंग एण्ड प्रिंटिंग, फारेस्ट रिसोर्सेज एण्ड देयर यूटीलाइजेशन, रूरल डवलपमेन्ट, सिन्धी, फ्रेन्च, जर्मन, रशियन, फिजीकल एज्युकेशन, ड्राईंग एण्ड पेंटिंग, ड्रामेटिक्स, जियोलॉजी एण्ड माइनिंग, एन्थ्रोपॉलोजी, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा मॉस कम्प्यूनिकेशन।
4. स्नातक स्वयंपाठी छात्रों को अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी व सामान्य अंग्रेजी तथा नियमित छात्रों को सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारम्भिक कम्प्यूटर तथा पर्यावरण अध्ययन विषय को पाठ्यक्रम की अवधि में उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
5. स्नातक स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो किसी ऐसे वैकल्पिक विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित विषय का प्रायोगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र से लेना अनिवार्य है। प्रायोगिक प्रशिक्षण का निर्धारित शुल्क सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा कराना होगा तथा प्राप्त प्रमाण-पत्र को प्रायोगिक परीक्षा के दिन निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करवाना होगा अन्यथा वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगे।
6. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 81-I (A) (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार स्वयंपाठी के रूप में पार्ट-1। उत्तीर्ण छात्र यदि श्रेणी बदलकर नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए पार्ट-1 में 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। सांयकालीन (SFS) महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त परीक्षार्थियों को इस अनिवार्यता से छूट मिलेगी। कॉलेज शिक्षा प्रवेश नीति के अनुसार महिलाओं को भी 45 प्रतिशत की अनिवार्यता से छूट मिलेगी।

7. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 86-(B)-I तथा आर्डिनेन्स 177 (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार विश्वविद्यालय सिंडीकेट/प्रबन्ध मण्डल से समकक्षता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा ऑटोनोमस महाविद्यालय से स्नातक पार्ट-। उत्तीर्ण छात्र पार्ट-।। की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं परन्तु
 - a) ऐसे छात्र उन्हें वैकल्पिक विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिनका चयन पार्ट-। में किया था। ऐसे छात्रों को अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी से छूट मिलेगी परन्तु अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग पार्ट-। के साथ उत्तीर्ण नहीं किये हो तो उनकी परीक्षा देनी होगी।
 - b) ऐसे छात्रों की श्रेणी (Division) का निर्धारण पार्ट-।।/।।। में प्राप्तांको के आधार पर होगा तथा उन्हें प्रदान की जाने वाली उपाधि पर इस आशय का अंकन किया जावेगा कि 'छात्र द्वारा इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन दो वर्ष तक अध्ययन किया गया है'।
8. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के आर्डिनेन्स 144 (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार नियमित परीक्षार्थियों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की सम्बन्धित महाविद्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
9. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में वैकल्पिक विषय के रूप में तीन साहित्य विषय तथा तीन प्रायोगिक विषय चयन नहीं कर सकते हैं।
10. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में हिन्दी साहित्य के साथ उर्दू एवं संस्कृत के साथ परशियन का चयन नहीं कर सकते हैं।
11. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में पुरुष परीक्षार्थी गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन नहीं कर सकते हैं।
12. स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर अनुप्रयोग विषय का चयन नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थी नहीं कर सकते हैं।
13. स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 153-B (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार पार्ट-। में उत्तीर्ण परीक्षार्थी तीन वर्ष से अधिक अन्तराल के पश्चात् अगली कक्षा पार्ट-।। की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उन्हें पुनः पार्ट-। की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा परन्तु पूर्व में उत्तीर्ण प्रायोगिक विषय की परीक्षा से छूट मिलेगी।
14. **श्रेणी/अंक सुधार** - स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) पार्ट-। उत्तीर्ण परीक्षार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स-169-ई(i) (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष अंक/श्रेणी सुधार हेतु उन्ही विषयों में तथा उस समय लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यह ध्यान रखे कि ऐसे परीक्षार्थी को प्रायोगिक विषयों (यदि हो) की परीक्षा भी पुनः देनी होगी।
15. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 193-C(i) (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक ही श्रेणी (Division) निर्धारण हेतु जोड़े जावेंगे।
16. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार नॉन-कॉमर्स परीक्षार्थियों को बी.कॉम. पार्ट-। में अतिरिक्त अनिवार्य विषय बुक कीपिंग एवं अक्राउटेन्सी की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।
17. स्नातक ऑनर्स, बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिए ही लागू है।
18. **पूर्वछात्र (Ex-Student)** : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 164 (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार ऐसे नियमित परीक्षार्थी जो परीक्षा-2016/पूर्व परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे थे, वे पुनः उसी कक्षा की पूर्वछात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उन्हें प्रायोगिक विषयों की पुनः परीक्षा देने से छूट मिलेगी। सभी पूर्वछात्रों के परीक्षा फार्म उसी महाविद्यालय में जमा होंगे जहां के वे नियमित परीक्षार्थी रहे थे।

19. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 182 (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के पश्चात् लौटाया नहीं जावेगा।
20. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 168-ए एवं बी (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के प्रावधानों के अनुसार छात्र एक वर्ष में दो डिग्रियों की परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाएं समान रूप निरस्त कर दी जावेंगी।
21. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 169-H (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने/अंकतालिका जारी होने के पश्चात यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है, तो परीक्षा परिणाम/अंकतालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।
22. स्नातक पार्ट-1। के परीक्षार्थी फ्रेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय उन्हीं विषयों का चयन करेंगे जिनका चयन उन्होंने स्नातक पार्ट-1 में किया था। दोनों में भिन्नता होने पर परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और इसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

ब - स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु कतिपय नियम :

23. स्नातक परीक्षा के उपरोक्त बिन्दु संख्या 1, 2, 5, 8, 19, 20 व 21 स्नातकोत्तर परीक्षा में भी लागू होंगे।
24. एम.ए./एम.एससी. (वार्षिक पद्धति) भूगोल तथा गणित विषय में भी छात्र स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते हैं। बी.टेक. उत्तीर्ण छात्र एम.ए./एम.एससी./मैथेमेटिक्स के लिए आवेदन पत्र नहीं भर सकते।
25. श्रेणी/अंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर वार्षिक पद्धति परीक्षार्थियों के लिए प्रावधान :
 - a) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 169-ई (ii) (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) - स्नातकोत्तर पूर्वाब्द (वार्षिक पद्धति-2016) में उत्तीर्ण परीक्षार्थी, एक या अधिकतम दो प्रश्न-पत्र में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं।
 - b) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 179 (जो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पर भी समान रूप में लागू है) के तहत सभी समतुल्य (Equivalent) विश्वविद्यालयों से पिछले वर्षों में एम.ए./एम.कॉम. में उत्तीर्ण विद्यार्थी उन्हीं विषयों में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार इस आर्डिनेन्स के तहत पूर्वाब्द एवं उत्तराब्द के सभी विषयों में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में स्वयंपाठी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।
 - c) एम.ए./एम.एससी. के नियमित परीक्षार्थी को पूर्ण अनुत्तीर्ण रहने पर पूर्वछात्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ऐसे परीक्षार्थियों को सभी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्रों में पुनः प्रविष्टि हेतु आवेदन करना होगा।



परीक्षा नियंत्रक